बीएसई वेबसाइट-निवेशक विभाग, निवेशक का मंच

सुलभ बना निवेशक के निधन के बाद उसकी संपत्ति अधिग्रहित करने का मार्ग

निवेशकों के स्वजनों के हित में सेबी ने उठाया राहतदायी कदम

निवेशक का निधन हो जाने के बाद उसके नाम पर रहे शेयर सहित अन्य साधनों मे निवेशित धन प्राप्त करने की कार्यविधि सेबी ने केन्द्रीयकृत, सुलभ और तेज बनाई है। प्रस्तावित कार्यविधि जनवरी, 2024 अमल में आएगी। ऐसा कदम क्यों उठाया गया है और किसे राहत मिलेगी, कि जानकारी आज हम इस लेख से प्राप्त करेंगे।

यदि परिवार के किसी सदस्य का निधन हो तो दु;ख स्वाभाविक ही होगा, लेकिन इतना जरूरी यह भी है की शेयर-म्युच्युअल फंड की योजनाओ में उसके द्वारा किए गए निवेश का धन अटक ना जाए और उसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना ना पड़े, के लिए कुछ व्यवहारिक कदम उठाना अनिवार्य है। सिक्युरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने महत्वपूर्ण कदम उठाकर तत्संबंधी कार्यविधि सुलभ व तेज बनाई है।

शेयरों पर अपना अधिकार बचाकर रखना आवश्यक

सेबी ने कुछ अर्से से म्युच्युअल फंड्स, बैक फिक्स्ड डिपॉजिट पूजी-वित्त बाजार के साधनों में निवेश के संबंध में नॉमिनी नियुक्त करना अनिवार्य बनाया है और उस पर जोर भी दिया जा रहा है। बिना नॉमिनीवाले एकाउंट्स बंद करने की चेतावनी भी दी गई है। इस संबंध में सेबी ने हाल ही में एक नया और अनोखा कदम उठाया है। जिसके अंतर्गत, निवेशक के निधन पर उसके परिवार या नॉमिनी-उतराधिकारी सदस्यों को अधिकार की प्राप्ति में पड़नेवाली कठिनाई का उपाय दिया गया है। प्रत्येक निवेशक और बचत करनेवालों, उनके परिवार के नॉमिनी सदस्यों के लिए सेबी के कथित कदम को समझना आवश्यक है। वैसे, सेबी का प्रस्तावित कदम, उसके नियमन अंतर्गत आनेवाले शेयर्स व म्युच्युअल आदि सभी निवेश साधनों को लागू होगा। गौरतलब है कि,आज के दिन भी अरबों रुपए मूल्य के शेयर्स व और म्युच्युअल फंड्स की योजनाओ में निवेशित राशि बिना दावा पड़ी है। जिसे कुछ साल बाद एसेट्स कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर किया जाता है। बाद में इस पर अधिकार प्राप्त करना उतराधिकारियों के लिए लोहे के चने चबाने है।

निधन के बाद आरए को रिपोर्टिंग

सेबी के कदमानुसार निवेशक के निधन पर उसकी रिपोर्टिंग केवायसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी (केआरए) को हो सकती है। इसके लिए सेबी ने केन्द्रीयकृत व्यवस्था स्थापित की है। अर्थात, केआरए के साथ कार्यविधि पूर्ण होने के बाद उसमे सभी निवेश साधनों का समावेश होगा। मृत निवेशक की संपत्ति पर दावा करने के लिए अलग-अलग कार्यविधि नहीं करनी पड़ेगी। रिपोर्टिंग संयुक्त खाताधारक, नॉमिनीज़, कानूनन उतराधिकारी, मृतक के पारिवारिक सदस्य कर सकेंगे। यह जानकारी निवेशक का मृत्यु प्रमाणपत्र और पेनकार्ड जमा करके बीएसई व एनएसई को

BSE - INTERNAL

दी जा सकती है। कार्यविधि के बाद मृत निवेशक व्यक्ति के खाते में कोई डेबिट व्यवहार नहीं हो पाएगा। अन्य शब्दों में, मृत निवेशक व्यक्ति के खाते में सभी डेबिट व्यवहार ब्लॉक रहेंगे। मृत निवेशक के निधन के पाँच दिन बाद उसके पारिवारिक सदस्यों/नॉमिनीज़ को शेयर ट्रांसफर कार्यविधि की जानकारी दी जाएगी और उसका केवासी हमेंशा के लिए ब्लॉक्ड़ माना जाएगा। नई व्यवस्था 1 जनवरी, 2024 से अमल में आएगी।

जानकारों के अनुसार, निवेशक के निधन के बाद विभिन्न साधनों मे उसके द्वारा निवेशित धन की प्राप्ति के लिए अब तक एकसमान कार्यविधि का अभाव होने से भारी समस्या के साथ मामला भी लंबित होता है। जबकि, अब सेबी के कदम से जनवरी से कार्यविधि सुलभ और गति तेज होगी।

धन किसके लिए कमाते है और बचत करतें है?

सर्वसाधारण सवाल यह है कि हम धन किस लिए कमाते है, बचत या जमा करतें है? हम धन का निवेश करतें है समय समय पर या दीर्घावधि में अच्छा लाभ कमाने के उदेश्य से। हम अपने माता-पिता, संतान, पति-पत्नी जैसे आप्तजनों को संपत्ति देना चाहते है, लेकिन हमारा अचानक निधन हो जाए तो? ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हम अपने निवेश के संबंध मे नॉमिनी नियुक्त करतें है। लेकिन क्या नॉमिनी का मतलब हम जानते हैं? हमारी मृत्यु के बाद संपत्ति नॉमिनी को मिलेगी लेकिन वह उसका मालिक न होकर केवल केयरटेकर या ट्रस्टी होता है। सत्य समझ लेना जरूरी है कि नॉमिनी का कर्तव्य व्यक्ति की मृत्यु के बाद संपत्ति उसके वास्तविक उतराधिकारियों को सुपुर्द करना है। .

प्रश्न यह भी है कि कानूनन उतराधिकारी किसे माना जाए? वसीयत में जिनका नाम दर्ज है, वो कानूनन उतराधिकारी है तो नॉमिनी कौन होता है? नॉमिनी क्यों नियुक्त किया जाता है? नॉमिनी को क्या भूमिका निभानी होती है? ऐसे अनेक सवाल मन में उठते है जिसकी चर्चा हम आगामी प्रकरण में करेंगे।

प्रेषक: **जयेश चितलिया**

(टिप्पणी: यहाँ दर्शाए गए विचार और अभिप्राय लेखक के है। इसका उद्देश्य निवेशकों को जानकारी प्रदान करने और जागरूकता के लिए है.। इसमें किसी भी क्षति या कमी होने पर बीएसई जिम्मेदार नहीं है)

BSE - INTERNAL